संख्या-58/2015/438/41-2015-75 सा0/14

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

अनुसचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन,

उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015

विषय- चेन्नई में स्थित पर्यटन कार्यालय भवन के अवशेष किराये के भुगतान हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-1951/3-लेखा/पुनर्विनियोग (बजट)/2014, दिनॉक 13-02-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में चेन्नई स्थित पर्यटन कार्यालय भवन के अवशेष किराये के भुगतान हेतु मानक मद सं0-17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 20.19 लाख (रू0 बीस लाख उन्नीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं -

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि की आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
3. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
4. यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-सम्वर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-आयोजनेत्तर के मानक मद-03-मंहगाई भत्ते के भुगतान की धनराशि से संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग द्वारा लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-80-सामान्य-104-सम्वर्धन तथा प्रचार-03-अधिष्ठान-आयोजनेत्तर का मानक मद-17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या आरई0-379/ई0-7-(1)/दस-2015, दिनांक-16.03.2015 में प्राप्ति उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

संख्या-58/2015/438(1)/41-2015 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 पर्यटन कार्यालय, नई दिल्ली।
5- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
6- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट सम्बद्ध पर्यटन निदेशालय लखनऊ।
7- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in